



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1382/MP/6/2023-ESDW

दिनांक: 01.03.2023

सेवा में,

श्री इकबाल सिंह बैस,
मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
एम.पी मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल, मध्यप्रदेश -462004
ई मेल: cs@mp.nic.in

श्री मनीष रस्तोगी,
प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
भू-तल, वल्लभ भवन-2, मंत्रालय,
अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश 462011
ई-मेल: psrevenue@mp.gov.in

विषय: मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 {6} (क) के प्रावधान के कारण आदिम जनजाति के भूमि स्वामी अधिकार की भूमि आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु बंधक रखने में आ रही परेशानी के निराकरण किए जाने के संबंध में श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके, संसद सदस्य, लोक सभा, 29 बैतूल-हरदा-हरदूस, मध्य प्रदेश का दिनांक 09.02.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके, संसद सदस्य, लोक सभा से दिनांक 09.02.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

342-502
जारी किया
ISSUED

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके,
संसद सदस्य (लोक सभा),
29 बैतूल-हरदा-हरदूस, मध्य प्रदेश,
सांसद सुविधा केंद्र, सदर बैतूल-460001,
मध्य प्रदेश के पत्र सं. एमपी-29/2023/2600 दिनांक
09.02.2023 के संदर्भ में।

श्री दुर्गादास (डी. डी.) उईके,
संसद सदस्य (लोक सभा),
219, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली